न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील संख्या 99 / 2018

1. गोपालसिंह
2. चरणसिंह

} पिसरान मदनसिंह जाति राजपूत निवासी तरौली अजीतसिंह का पुरा मजरा तरौली तहसील व जिला करौली (राज0)

अपीलांटान

बनाम

1. कल्लो उर्फ कलावती पत्नी शेखर
2. शेखर पुत्र छीतर
3. वी.पी. सिंह उर्फ सेहरा पुत्र शेखर

} सभी जातियान मीना निवासीयान तरौली तहसील व जिला करौली (राज0)

रेस्पोटेडान

(अपील विरूद्व निर्णय न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली मु0न0 74 / 15 निर्णय व डिग्री दिनांक 18.05.2018)

उपस्थित अभिभाषक

1. अपीलांटान की और से श्री विष्णुचंद बंसल।
2. रेस्पोडेटान की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय दिनांक 11.11.2019

यह अपील न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली डिकी व निर्णय दिनांक 18.05.2018 मु0नं0 74 / 2015 शीर्षक गोपालसिंह बगै0 बनाम कल्लो बगै0 के विरूद्व दावा वादी खारिज किये जाने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत हुई है। अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण ने एक दावा खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम तरौली पटवार मण्डल मामचारी तहसील व जिला करौली में आराजी खसरा नम्बर 136 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा व खसरा नम्बर 161 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा जो कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है। इस आराजी में विवादित खसरा नम्बर 161 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा वादीगण / अपीलांटान के खातेदारी व कब्जेकाश्त की है जिसमें प्रतिवादीगण / रेस्पोडेन्टान का कोई मालिकाना काबिजाना खातेदारी काश्तकारी संबंध व तालूक नहीं है। अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण / रेस्पो0 उक्त आराजी में प्रवेश करने पर आमदा है। प्रतिवादीगण / रेस्पो0 इस कृत में सफल हो गये तो वादी को अपने हक हकूको पर गहरा आघात होगा और अपीलांटान को बेजा मुकदमें वाजी में फसना पड जायेगा। इस कारण से वादी, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत आराजी खसरा नम्बर 161 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा सम्पूर्ण पर काबिज नहीं होने की स्थिति में खारिज कर देने से अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के विरूद्व निर्णय पारित किये जाने से व्यथित होकर यह अपील पेश की है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर बहस अपीलांट अभिभाषक की सुनी गई। बाद तामील रेस्पो0 उपस्थित नहीं हुए।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि आराजी खसरा नम्बर 136 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा व खसरा नम्बर 161 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा स्थित। वाके ग्राम तरौली, पटवार मण्डल मामचारी, तहसील व जिला करौली जो कि अपीलांटान की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि है। इस आराजी में विवादित खसरा नम्बर 161 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा

Scanned by CamScanner

अपीलांटान के खातेदारी व कब्जेकाश्त की है जिसमें रेस्पोडेन्टान का कोई मालिकाना काबिजाना, खातेदारी, काश्तकारी संबंध व तालूक नहीं है। तहत न्यायालय द्वारा पत्रावली दिनांक 18.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प मामचारी पर रखी गयी होना निर्णय व डिक्री में बताया गया है जबकि दिनांक 18.05.2018 को पक्षकारो के मध्य कोई राजीनामा नहीं होना निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2018 व आदेशिका दिनांक 18.05.18 से स्पष्ट है जबकि लोक अदालत में प्रकरण आपसी सहमति से ही निर्णित किये जाते है। प्रकरण का मैरिट पर अन्तिम निर्णय नहीं किया जाता है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.18 को बिना पक्षकारों अपीलान्टस/वादीगण व रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण के आवेदन पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से मौका रिपोर्ट विधि विरूद्ध रूप से तलब की है जबकि कब्जा की मौका रिपोर्ट तलब करने का एवं मौका रिपोर्ट कब्जे के संबंध में साक्ष्य एकत्रित करने को कानूनन तलब नहीं की जा सकती है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है। मौका रिपोर्ट दिनांक 18.05.2018 एकपक्षीय है। वादीगण/अपीलांट्स की उपस्थिति में तैयार नहीं की गयी है। खसरा नम्बर 161 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा पर कब्जा होने की भी पत्रावली में आदेशिका पर नहीं लिया है। मौका रिपोर्ट में भी दिनांक 18.05.18 को भूमि पडत (खाली) होना मौके पर कोई काश्त नहीं होना बताया है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत व मनमानी मौका रिपोर्ट के आधार पर 3 बिस्वा भूमि पर रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण का गलत रूप से विधि विरूद्ध रूप से कब्जा मानते हुये दावा वादीगण अपीलान्टस अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 के व पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का के असर में आकर विधि विरूद्ध निर्णय किया है। पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का से मौका रिपोर्ट वादीगण अपीलान्टस की अनुपस्थिति में रेस्पोडेन्टस/प्रतिवादीगण को परिवरिश करने की नियत से एवं वादीगण/अपीलांट्स द्वारा पटवारी हल्का की दिनांक 11.05.17 को शिकायत करने से पटवारी हल्का व गिरदावर हल्का एवं राजस्व कर्मियों की वादीगण/अपीलांटान से नाराजगी होने से रंजिश होने से साजिशन मात्र वादीगण अपीलांट का वाद विधि विरूद्ध रूप से खारिज करने को बिना किसी आवेदन के विधि विरूद्ध तलब की गयी है और इसी गलत मौका रिपोर्ट को अधीनस्थ न्यायालय ने आधार मानकर दावा वादीगण अपीलांट विधि विरूद्ध रूप से जैर अपील निर्णय व डिक्री से खारिज किया है। जैर अपील निर्णय व डिक्री एवं मौका रिपोर्ट दिनांक 18.05.18 निरस्त किये जाने योग्य है और दावा वादीगण/अपीलांट डिक्री किये जाने योग्य है। अपील अपीलांटस वादीगण स्वीकार की जाकर दावा वादीगण अपीलांट डिक्री किया जाकर रेस्पो0/प्रतिवादीगण जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह विवादित आराजी खसरा नं0 161 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा ग्राम तरौली पटवार हल्का मामचारी में वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत ना तो स्वयं करे ना दीगर परिवार जन सहयोगियों से करावे एवं अनाधिकार प्रवेश नहीं करे ना भूमि को क्षति पहुचावे दीगर दादरसी जो आवश्यक वादीगण हो प्रदान की जावे का निवेदन किया।

अभिभाषक अपीलांट की ओर से की गयी बहस पर मनन किया तहत न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया ।

11.11.19
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

प्रकरण में सहायक कलक्टर, करौली के समक्ष वादीगण गोपाल वगै0 की ओर से मुकदमा संख्या 74/15 हाल अपीलांट/वादी ने दावा स्थायी निषेधाज्ञा धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में पेश किया था जिसमें तनकी नं0 1 वादी/अपीलांटान ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबंदी 2068 ल0 2071 पेश की गई जिसमें वादी/अपीलांटान वाके ग्राम तरौली पटवार मण्डल मामचारी तहसील व जिला करौली में आराजी खसरा नम्बर 136 रकबा 2 बीघा 14 विस्वा व खसरा नम्बर 161 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा जो कि वादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि दर्ज है।

मौका रिपोर्ट दिनांक 18.05.18 को हमराह पटवारी हल्का मामचारी के साथ ग्राम तरौली के आराजी ख0नं0 161 रकबा 1 बीघा 09 बिस्वा का मौका देखा गया उक्त खसरा नं0 161 मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबंदी के चरणसिंह पुत्र मदनसिंह हिस्सा 1/2 व गोपोलसिंह पुत्र मदनसिंह हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर पर मौका पर लगभग 03 बिस्वा भूमि पर शेखर चन्द पुत्र छीतरिया जाति मीना निवासी तरौली काबिज होना उपस्थित व्यक्तियों ने बताया। मौके पर उक्त खसरा नम्बर 161 की शेष भूमि पर खातेदारो का

Scanned by CamScanner

काबिज होना बताया। मौका पर भूमि पडत है। कोई काश्त नहीं है। इस प्रकार की मौका रिपोर्ट पटवारी व गिरदावर ने पेश की है। मौका रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट होता है कि मौका रिपोर्ट पक्षकारों को सूचित किये बिना व बिना उनकी उपस्थिति में तैयार की गयी है। क्योंकि मौका रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर आदि नहीं है। अतः अपील आंशिक स्वीकार योग्य है। उक्त तथ्यो को देखते हुए अपीलांट की अपील अधिनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित करना उचित समझता हूँ ।

अतः अपीलांट की अपील आंशिक स्वीकार कर रिमाण्ड की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली के मु0नं0 74/15 के निर्णय व डिग्री दिनांक 18.05.18 को अपास्त किया जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को प्रकरण इन निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षो को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए। तहसीलदार से पुनः पक्षकारो के सामने विधिक रूप से मौका रिपोर्ट तैयार करवाकर प्राप्त कर पुनः निर्णय पारित करे। रेस्पो0 न्यायालय हाजा में उपस्थित नही हुए है उनको अपने स्तर से सूचना दी जावे। अपीलांट को पांबद किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, करौली में दिनांक 23.12.2019 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11-11-19

(बी.एल. रमण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Banwari Lal Raman
Date: 2019.11.18 16:55:16 IST
Reason: SelfAttested
Location: